

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी \_\_\_\_\_ देवा \_\_\_\_\_ विपक्षी \_\_\_\_\_ मांजी बर्दि \_\_\_\_\_  
 किस्म मुकदमा \_\_\_\_\_ 53,188 एन.के. पत्रावली संख्या 28/19 सन \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>05/8/25</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय स्वयं 5:00 PM हो चुके हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में तलबी में नियत है। अधि. वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अब तक तामील नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी आज भी अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार लेकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



**सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली**

